

डिक्री व मुकदमें ईत्दादाई  
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)  
प्रकरण संख्या :- 524 / 2024

सुशील कुमार पुत्र भूपराम जाति बिश्नोई निवासी 12 के.एस.डी. ढाणी रासूवाला  
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

---वादी

बनाम

1. भूपराम पुत्र लालचंद
  2. ज्योति पत्नी नरेश कुमार पुत्री भूपराम
  3. मलका पत्नी राजकमल पुत्री भूपराम
- तहसीलदार (राजस्व) संगरिया
- जाति समस्त बिश्नोई निवासीगण  
12 के.एस.डी. ढाणी रासूवाला तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

---प्रतिवादीगण

वाद पत्र अं. धारा 88,53 आर.टी.ए.

दिनांक :- 19.2.2025



यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक (आर.ए.एस.) वास्ते इनफिसाल कर्तई  
सेबरू हमारे बहाजरी श्री परविन्द्र सिंह वकील वादी मिन जामिन मुदई व श्री कैलाश  
सिंवल वकील प्रतिवादीगण की उपस्थिति में यह डिक्री दी जाती है कि वाद वादी  
स्वीकारात्मक जवाबदावा के आधार पर डिक्री किया जाकर तहसीलदार (राजस्व)  
संगरिया को आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादी सं. 1 भूपराम के नाम से दर्ज  
तहसील संगरिया के चक नं. 12 के.एस.डी. खाता सं. 103/63 जं.सं. 2071-74 प.नं.  
124/111 मु.नं. 11 कि.नं. 21/0.118 है. 22,23/0.253 है.प्र. कुल 0.624 है. नहरी  
कृषि भूमि का वादी सुशील कुमार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर  
रकमराज अलग से कायम की जाकर उक्त खाता में से प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा  
1.636 है. से घटाकर 1.012 है. किया जाता है।

आराजी बैंक के पक्ष में रहन होने की स्थिति में बैंक रहन से मुक्त होने पर ही  
राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन  
करेगे।

निज...X...निल...X...मुब्लिक...X...निल...X...बाबत...X...निल...1000...खर्चा मुकदमें  
के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ...X...को  
अदा करें।

बसब मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 19.2.2025 को जारी  
किया गया।

( जय कौशिक )  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
संगरिया